

ओमी उर्फ ओमकार राठौर एवं अन्य।

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल.) संख्या 17781/2024)

03 जनवरी 2025

[जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय प्रश्न

एक व्यक्ति को विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्त के रूप में समन करने के संबंध में प्रश्न उठा, जबकि उक्त व्यक्ति का नाम प्राथमिकी में तो था, लेकिन उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था।

शीर्ष टिप्पणियां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 319 - अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति - तथ्यों के आधार पर, अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल खात्मा रिपोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अभिकथित अपराध से दोषमुक्त कर दिया। मुख्य परीक्षा में, प्रथम सूचनाकर्ता ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभिसाक्ष्य दिया और एक विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का भी आरोप लगाया। इसके आधार पर, याचिकाकर्ताओं को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया - विचारण न्यायालय ने विचारण का सामना करने के लिए धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें समन किया - उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को बरकरार रखा - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की - परिवादी द्वारा प्राथमिकी में व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस अन्वेषण के बाद उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे शामिल किए बिना आरोप पत्र दाखिल कर देती है, न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और समन जारी करने के चरण में, यदि विचारण न्यायालय पाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को अभियुक्त के रूप में समन किया जाना चाहिए, भले ही उसका नाम आरोप पत्र में न हो, तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि विचारण के दौरान प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ कुछ

सबूत सामने आए - इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल खात्मा रिपोर्ट पर संबंधित न्यायालय द्वारा अभी विचार किया जाना बाकी है, और इसे आज तक स्वीकार नहीं किया गया है - हालांकि, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 319 के तहत याचिकाकर्ताओं को विचारण का सामना करने के लिए समन जारी करने के आदेश के मद्देनजर खात्मा रिपोर्ट अब महत्वहीन हो गई है - यह उचित होता यदि संबंधित न्यायालय ने जल्द से जल्द खात्मा रिपोर्ट पर गौर किया होता और वास्तविक-परिवादी की सुनवाई के बाद किसी न किसी तरह से उचित आदेश पारित किया होता। [पैरा 16, 18, 19, 20]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 319 - अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति धारा 319 के संबंध में विधि के सिद्धांत:

अभिनिर्धारित: विचारण न्यायालय को अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण का सामना करने के लिए उसके समक्ष अभियुक्त न होने पर किसी भी व्यक्ति को जोड़ने का निस्संदेह अधिकार है, यदि न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में संतुष्ट हो जाता है कि जिन व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नहीं रखा गया है, उन्हें विचारण का सामना करना चाहिए - ऐसे व्यक्ति को भले ही शुरू में प्राथमिकी में एक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, लेकिन आरोप पत्र नहीं दायर किया गया था, विचारण का सामना करने के लिए भी जोड़ा जा सकता है - विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उठा सकता है, न कि आरोप पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य का गठन नहीं करती है - धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्ति प्राथमिकी में संबंधित व्यक्ति का नाम लेने या न लेने से नियंत्रित या शासित नहीं होती है - न ही यह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर है - धारा 319 में वाक्यांश 'कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है' स्पष्ट रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल करता है जिस पर पहले से ही न्यायालय द्वारा विचारण नहीं चलाया जा रहा है और धारा 319 (1) को अधिनियमित करने का मूल उद्देश्य यह है कि ऐसे व्यक्ति भी जो अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ दिए गए हैं, लेकिन जिनके खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले साक्ष्य आपराधिक न्यायालय के समक्ष आते हैं, उन्हें उक्त अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है - अन्वेषण अधिकारी के अभिलेख पर विचार करके नए अभियुक्त को जोड़ने के लिए आवेदन को अस्वीकार करना विचारण न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा - जब परिवादी का साक्ष्य स्वीकार करने योग्य पाया जाता है तो अन्वेषण अधिकारी की संतुष्टि शायद ही मायने रखती है - यदि अन्वेषण अधिकारी की संतुष्टि को निर्णायक माना जाता है तो धारा 319 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। [पैरा 21]

वाद विधियां जिनका हवाला दिया गया

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [2014] 2 एससीआर 1:(2014)3 एस.सी.सी. 92:(2014)2 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 86 - अनुसरण किया गया।

रमेश चंद्र श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2021] 6 एससीआर 219: (2011) 12 एससीसी 608; एस. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेंद्र चांडक [2017] 10 एससीआर 29: (2017) 16 एससीसी 226 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860।

कीवर्ड की सूची

विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्त के रूप में व्यक्ति को समन करना; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग; प्राथमिकी में नामित व्यक्ति लेकिन आरोपित नहीं; अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति; खात्मा रिपोर्ट; मुख्य परीक्षा; समन; वास्तविक- परिव्रादी ।

मामला उत्पन्न अंतर्गत

असाधारण अपील्य क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 17781/2024
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के सीआरआर क्रमांक 3172/2022 के दिनांक 23.10.2024 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अनिल कौशिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिद्धार्थ सिजोरिया, सुश्री स्वाति सेतिया, अभिषेक मिश्रा, मयंक गौतम, अनुराग एंडली, आशा राम शिवहरे, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

- यह याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा दिनांक 23-10-2024 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 3172/2022 में पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया और इस प्रकार सत्र वाद संख्या 233/2018 में ग्वालियर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिसमें याचिकाकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हत्या के अपराध के लिए विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया था।
- भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पड़ाव पुलिस स्टेशन, जिला ग्वालियर में अपराध संख्या 96/18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।
- कुल सात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में दो याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल हैं।

4. अन्वेषण के अंत में, अन्वेषण अधिकारी ने दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में खात्मा रिपोर्ट दाखिल कर दी। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध, ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया।

5. विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करना शुरू किया। प्रथम मूल सूचनाकर्ता-अ.स.3 कठघरे में आया। अपनी मुख्य परीक्षा में उसने वही दोहराया जो उसने प्राथमिकी में लिखा था।

6. अपने मुख्य परीक्षण में अ.स.3 - राघवेन्द्र तोमर ने निम्नलिखित बयान दिया:-

"1. घटना की दिनांक 20.02.2018 है। मैं अभिषेक तोमर के साथ जिला न्यायालय में एक मामले में पेशी के लिए गया था। पेशी के बाद लौटते समय पंकज सिकरवार, वीरू तोमर अपाचे गाड़ी में, सोनू राठौर, ओमी राठौर, रविन्द्र सिकरवार, विजय भदौरिया और अमित भदौरिया सफारी गाड़ी में तानसेन नगर रोड स्थित एलआईसी ऑफिस के पास हमें घेर लिया। हमें घेरने के बाद, पंकज सिकरवार ने पिस्टल से हम पर गोली चला दी जो अभिषेक के सिर में लगी। दूसरी गोली वीरू तोमर ने चलाई जो अभिषेक के पेट में लगी। फिर सोनू राठौर, ओमी राठौर, रविन्द्र सिकरवार, विजय भदौरिया, अमित भदौरिया, इन सभी ने मिलकर अभिषेक को जान से मारने के सामान्य आशय से गोली मार दी। तभी रमन और संजय पीछे से बाइक पर आए और अभिषेक को बचाने लगे। इन सभी लोगों ने उन पर भी फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद ये लोग घटनास्थल से भाग गए।

2. इसके बाद हमने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस के आते ही पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस के आते ही हम अभिषेक को एम्बुलेंस से सहारा अस्पताल ले आए। सहारा अस्पताल में डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। उसके परिवार के सभी सदस्यों के आते ही उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मैंने देहाती नालसी दर्ज कराया, जो प्र.पी.10 है, जिसके क से क भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मेरे सामने नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, जो प्र.पी.11 है, जिस पर क से क भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मुझे थाने बुलाकर पूछताछ की और मेरा बयान लिया। मैं अभियुक्त व्यक्तियों को पहचान सकता हूँ। ग्वालियर जेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए गए अभियुक्त व्यक्तियों में से मैं अभियुक्त वीरू तोमर को पहचानता हूँ, लेकिन बाकी अभियुक्त व्यक्तियों राहुल राजावत और आनंद राठौर को नहीं जानता। बड़वानी जेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए गए अभियुक्त बंटी उर्फ अजय को मैं नहीं पहचानता। गवाह ने अभियुक्त पृथ्वीराज को न्यायालय में उपस्थित देखकर कहा कि मैं उसे नहीं पहचानता। मैं अनुपस्थित अभियुक्त गौरव को भी नहीं पहचानता। मैं विक्रम को नाम से नहीं जानता; अगर वह न्यायालय में पेश हो तो मैं उसे पहचान सकता हूँ।"

7. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य परीक्षा में, प्रथम मूल सूचनाकर्ता ने दोनों याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध स्पष्ट रूप से गवाही दी थी - तथा एक विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का भी आरोप लगाया था।
8. अ.स.3 के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, दोनों याचिकाकर्ताओं को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के उद्देश्य से अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।
9. याचिकाकर्ताओं ने विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें विचारण का सामना करने के लिए समन जारी करने के आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया और इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को समन जारी करने के आदेश की पुष्टि की।
10. उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।
11. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल कौशिक को सुना है।
12. रमेश चंद्र श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2021) 12 एससीसी 608 में, जबकि इस न्यायालय ने धारा 319, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोग हेतु ऐसे अभिसाक्ष्य पर भरोसा करने की स्वीकृति दी है, जिसकी प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने धारा 319, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए हैं। इस संबंध में विधिक विवरण हरदीप सिंह [हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य] (2014) 3 एससीसी 92: (2014) 2 एससीसी (क्रि) 86] के क्रमशः पैरा 105 और 106 में निहित है: (एससीसी पृष्ठ 138)

"105. धारा 319, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां ऐसा करने की मांग करती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए जब न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस और तर्कपूर्ण सबूत मिलते हैं, और न कि अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से।

106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से, जो आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परखे नहीं जाते, केवल प्रथम दृष्टया मामला

ही स्थापित किया जाना है, इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह आरोप-विरचना के समय अपनाए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस सीमा तक संतुष्टि की कमी है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो सकती है। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता में, यदि 'साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होते हुए भी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है', तो यह प्रावधान करने का उद्देश्य जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण चलाया जा सकता है' शब्दों से स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द 'जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है' नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

13. इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्धारित मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिद्धांत भी शामिल है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल ठोस और तर्कपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड, आरोप विरचना के समय लागू किए जाने वाले प्रथम दृष्टया मानदंड से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह से उस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा कि क्या ऊपर उल्लिखित हरदीप सिंह (उपरोक्त) के पैरा 105 के अर्थ में कोई ठोस आधार मौजूद है।

14. हमारे समक्ष प्रस्तुत एकमात्र तर्क यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ताओं को अभियुक्त के रूप में समन करने से पहले विचारण न्यायालय को अन्वेषण अधिकारी द्वारा दायर खात्मा रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अभिकथित अपराध से दोषमुक्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिपोर्ट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता - यहाँ उल्लिखित - अभिकथित अपराध से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं।

15. इस मामले की खात्मा रिपोर्ट अभिलेख में है। खात्मा रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"चूंकि अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ गडरा पुत्र रामजीलाल कोली (माहोर) उम्र 25 वर्ष निवासी टुंडीला थाना मालनपुर, भिण्ड एवं पुस्सू उर्फ पुष्पेन्द्र भदौरिया पुत्र योगेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 26 वर्ष निवासी काशी नरेश की गली, थाना किलागेट ग्वालियर के विरुद्ध धारा-302,307,147, 148, 149, 120बी आईपीसी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित

पाया गया, अतः अनुपूरक आरोप पत्र संख्या 86डी/2018 दिनांक 08.11.2020 को जारी करते हुए, इसे मिसल संख्या 1776/18 दिनांक 09/11.2020 के माध्यम से माननीय सीजेएम महोदय ग्वालियर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

परिवादी राघवेंद्र सिंह तोमर ने प्राथमिकी में पंकज सिकरवार, रविंद्र सिकरवार, सोनू राठौर, ओमी उर्फ ओमकार राठौर, विजय भदौरिया, अमित भदौरिया के नाम लिखवाए हैं। अन्वेषण के दौरान, पूनम राठौर, राजेंद्र सिंह भदौरिया, संतोष सिंह सिकरवार, जो उपरोक्त व्यक्तियों के परिवार के सदस्य हैं, द्वारा वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन दिए गए। आवेदनों को अन्वेषण में शामिल करके कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान, श्रीमती पूनम राठौर, राजेंद्र सिंह भदौरिया, संतोष सिंह सिकरवार, राकेश उर्फ बंटी मिश्रा, मुकेश भदौरिया, महेश सिंह उर्फ पिंटू शिकरवार, राजाबेटी तोमर, अनिता सिकरवार, गिरिजा देवी सिकरवार, धर्मेन्द्रसिंह परिहार, विनोद नागर, शंभू सिंह परिहार, भरत सिंह परिहार, नारायण छावड़ा, धर्मेन्द्र गौड़, अनुराग उर्फ चीकू राइन के सीडीआर और कथन अभिलिखित किए गए और मामले में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज नामजद अभियुक्तगण और परिवादी की प्राथमिकी से संबंधित अभिलेख एकत्र किए गए। घटनास्थल पर उपरोक्त अभियुक्तगण की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई। वर्तमान में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

आरोपीगण विजय भदौरिया एवं अमित भदौरिया की घटनास्थल से भिन्न स्थान पर उपस्थिति के संबंध में गवाह राजेंद्र सिंह भदौरिया का बयान दर्ज किया गया। आवेदक राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपने कथन में बताया कि उसके तीन पुत्र थे, सबसे बड़ा अजय भदौरिया, दूसरा पुत्र संजय भदौरिया दोनों मानसिक रूप से विकलांग हैं तथा तीसरा पुत्र सूरज भदौरिया था जिसकी हत्या दिनांक 21.10.2013 को मेरे घर के दरवाजे पर अभिषेक तोमर, परिमल तोमर, मनीष कोरी, दीपक जाट एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कर दी गई थी जिसकी प्राथमिकी थाना कोतवाली, ग्वालियर में धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कराई गई थी। अभिषेक तोमर मुख्य आरोपी था, उसने मेरे पुत्र सूरज को गोली मारी थी। अमित भदौरिया मेरे पुत्र सूरज के मामले में गवाह है तथा विजय सिंह भदौरिया सूरज के पारिवारिक चाचा (ताऊ) हैं। अमित भदौरिया मेरे पुत्र सूरज के मामले में मेरे साथ है। मामले में दबाव बनाने के लिए अमित एवं विजय भदौरिया के नाम लिखवाए गए हैं। घटना दिनांक 20.02.2018 को अमित भदौरिया सुबह 7:30 बजे सिविल अस्पताल मुरार में अपनी इयूटी पर गए थे और वह शाम को 3:45 बजे तक वहीं रहे, उसके बाद वह अपने घर यादव धर्म कांटा पर वापस आ गए जहां पर वह शाम को 6:00 बजे तक रुके और विजय भदौरिया मेरे साथ ही तैनात हैं और मेरे गाई राजकुमार भदौरिया HC 188 13वीं बटालियन ग्वालियर में तैनात हैं। संजय अग्रवाल, उमा चौहान, अरविंद सिंह कुशवाह निवासी इंदौर दोपहर 2:00 बजे कनक गार्डन में मेरे मित्र राकेश व्यास के साले की लड़की की शादी में आए हुए थे, जिसमें हम सभी लोग दोपहर 3:30 बजे

तक रुके और फिर उमा आंटी को छोड़ने के लिए महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन गए। हम लोग वहां लगभग 4:00 बजे तक रुके, उमा चौहान को छोड़ने के बाद हम सभी लोग होटल आदित्याज के पीछे विजय तोमर के घर गए, वहां हमने चाय पी और शाम 5:00 बजे तक रुके, विस्तृत बयान लिखकर सीडी के साथ शामिल किया गया, इस प्रकार घटनास्थल पर आरोपीगण अमित भदौरिया और विजय भदौरिया की उपस्थिति नहीं पाई गई।

अभियुक्तगण पंकज सिकरवार एवं रविन्द्र सिकरवार की घटनास्थल के अलावा अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में साक्षीगण पिंटू सिकरवार, श्रीमती गिरजा देवी, राजा बेटी एवं अनीता सिकरवार के कथन अभिलिखित किये गये। उन्होंने बताया कि दिनांक 20.02.18 को शाम लगभग 4.30 बजे पंकज सिकरवार एवं रविन्द्र सिकरवार अपने घर पर सो रहे थे तथा साक्षी संतोष सिंह ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 20.02.18 को शाम लगभग 4.30 बजे पंकज सिकरवार एवं रविन्द्र सिकरवार अपने घर पर उपस्थित थे। तत्पश्चात पंकज सिकरवार एवं रविन्द्र सिकरवार अपने कार्यस्थल आदित्यपुरम पहुंचकर सायं 5.00 बजे सिटी सेंटर पहुंचे। राघवेंद्र तोमर, रविन्द्र चौहान एवं संजय तोमर पंकज एवं रविन्द्र से रंजिश रखते थे।

कि पंकज सिकरवार ने रमन चौहान, मनोज किरार, परमाल तोमर एवं मृतक अभिषेक तोमर के विरुद्ध थाना हजीरा में अपराध क्रमांक 22/17 धारा 307 भादवि दर्ज कराया था जिसमें पंकज को गोली लगी थी, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी घटना से संबंधित मनोज किरार ने पंकज सिकरवार, रविन्द्र सिकरवार, सोनू राठौर एवं पंकज के भाई भूरा उर्फ ओमकार सिकरवार के विरुद्ध क्रॉस प्रकरण अपराध क्रमांक 23/17 धारा 307 भादवि दर्ज कराया था। जिसमें विवेचना के दौरान आरोप पत्र हेतु साक्ष्य न मिलने के कारण एफआर जारी कर दी गई थी। रमन चौहान के भाई नीरज चौहान ने दिनांक 15.06.17 को थाना हजीरा में संदिग्ध पंकज सिकरवार, रविन्द्र सिकरवार, सोनू राठौर एवं सौरभ राजावत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 275/17 धारा 308,34 भादवि दर्ज कराया था तथा दिनांक 27.10.17 को रमन चौहान के साले संदीप सिकरवार ने दिनांक 27.10.17 को थाना गोले का मंदिर में पंकज सिकरवार, सोनू राठौर एवं रविन्द्र सिकरवार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 534/10 धारा 307 भादवि दर्ज कराया था जिसमें पंकज सिकरवार, सोनू राठौर एवं रविन्द्र सिकरवार की संलिप्तता नहीं पाई गई तथा प्रकरण में सी.एस.पी. महाराजपुरा महोदय द्वारा विवेचना की गई, अन्वेषण में खुलासा हुआ कि रमन चौहान के साले फरियादी संदीप सिकरवार ने रंजिश के चलते नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पंकज ने राघवेंद्र तोमर के भाई परमाल तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध क्रमांक 22/2017 दर्ज कराया था, जिसके कारण मामले में दबाव बढ़ाने के लिए राघवेंद्र तोमर ने विजय भदौरिया, अमित भदौरिया, पंकज सिकरवार, सोनू राठौड़, रवींद्र सिकरवार और ओमी उर्फ ओमकार राठौड़ के नाम दर्ज करवाए थे।

यह कि पंकज सिकरवार एवं रविन्द्र सिकरवार की दिनांक 20.02.18 की कॉल डिटेल प्राप्त की गई जिसमें अपराध घटित होने के समय 15.08 बजे, पंकज सिकरवार के मोबाइल नम्बर 9425187361 की टावर लोकेशन 16.15 से 16.45 बजे तक रामेश्वरी नगर गदाईपुरा ग्वालियर में पाई गई तथा रविन्द्र सिकरवार के मोबाइल नम्बर 9754530830 की टावर लोकेशन 14:00 से 16:48 बजे तक रामेश्वरी नगर गदाईपुरा ग्वालियर में पाई गई, पंकज सिकरवार की हत्या थाना हजीरा क्षेत्र में की गई है।

जब नीरज मिश्रा का कथन अभिलिखित किया गया तो उसने बताया कि दिनांक 20.02.18 को उसकी रविन्द्र सिकरवार से लगभग शाम 4:30 बजे बात हुई थी, तो घटना के समय रविन्द्र सिकरवार अपने घर पर था तथा साक्षी राकेश उर्फ बंटी मिश्रा ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 20.02.18 को लगभग 4:00 बजे शाम को सूचना मिली कि अभिषेक तोमर की हत्या कर दी गई है, तब मैं पंकज सिकरवार के घर पहुंचा, उस समय पंकज सिकरवार अपने घर पर सो रहा था, मैंने पंकज को जगाया और घटना के बारे में बताया, तब मैं पंकज के साथ रविन्द्र के घर गया, उसके बाद रविन्द्र और पंकज कार से कहीं चले गए, इसी प्रकार अभियुक्तगण पंकज सिकरवार और रविन्द्र सिकरवार की घटना स्थल पर उपस्थिति नहीं पाई गई है। यह कि घटना से पृथक अभियुक्त सोनू राठौर की उपस्थिति के सम्बन्ध में साक्षी पूनम राठौर पत्नी अभियुक्त सोनू राठौर का कथन अभिलिखित किया गया, जिसने अपने कथन में बताया कि दिनांक 20.02.18 को मेरे पति सोनू राठौर अपने भतीजे अन्नू उर्फ अनुपम की शादी के लिए बैण्ड का इंतजाम करने हेतु अपनी इनोवा कार से सुबह 10-30 बजे ग्राम पडुआ पुरा, पिनाहट, जिला आगरा स्थित शुभम बैण्ड राजाखेड़ा नामक दुकान पर गये थे, जो सायं 4:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक बैण्ड मालिक के साथ थे, बैण्ड का बिल मेरे पति के नाम से बना है, दुकान मालिक विनोद का कथन अभिलिखित किया गया, जिसने अपने कथन में बताया कि सोनू राठौर दिनांक 20.02.18 को शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच पिनाहट, जिला आगरा में अपनी दुकान शुभम बैण्ड, राजाखेड़ा पर मौजूद था, इस प्रकार अभियुक्त सोनू राठौर की घटना स्थल पर उपस्थिति नहीं पाई गई।

यह कि दिनांक 05.01.18 को साक्षी संतोष सिंह सिकरवार थाने में उपस्थित हुए जिन्होंने बताया कि प्रकरण में अभियुक्त ओमी उर्फ ओमकार राठौर की दिनांक 20.02.18 को सायं 4:00 बजे से 5:00 बजे तक बैंक में उपस्थित रहने की सीसीटीवी फुटेज बैंक में सुरक्षित है। तत्पश्चात बैंक से पत्राचार किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई जिसमें ओमी उर्फ ओमकार राठौर दिनांक 20.02.18 को सायं 4:00 बजे से 5:00 बजे तक बैंक में उपस्थित दिखाई दे रहा है, जिसके फोटो डायरी में संलग्न हैं। इसी प्रकार ओमी उर्फ ओमकार राठौर की घटना स्थल पर उपस्थिति नहीं पाई गई। तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी, निरीक्षक संतोष सिंह द्वारा की गई अन्वेषण में उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आए हैं।

यह कि, निरीक्षक संतोष सिंह के स्थानांतरण के बाद मामले की आगे की जांच निरीक्षक कमलेश प्रजापति पुलिस थाना पड़ाव, निरीक्षक संजू कामले थाना प्रभारी पुलिस थाना पड़ाव, निरीक्षक अनिल भदौरिया थाना प्रभारी पुलिस थाना पड़ाव, निरीक्षक प्रशांत यादव थाना प्रभारी पुलिस थाना पड़ाव, एस.आई. बलबीर मावई थाना प्रभारी पुलिस थाना पड़ाव, निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, थाना प्रभारी पुलिस थाना पड़ाव द्वारा की गई, बाद में मामले का अन्वेषण मेरे द्वारा, निरीक्षक विवेक अष्ठाना, पुलिस थाना पड़ाव द्वारा की गई।

मामले के एक अन्य आरोपी पंकज सिकरवार की पूर्व में थाना हजीरा में हत्या हो चुकी है। पंकज सिकरवार का नाम इस मामले से अलग कर दिया गया है। इस संबंध में पंकज सिकरवार का मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है।

उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01 - विजय भदौरिया पुत्र फौजदार भदौरिया निवासी काला महल चार शहर का नाका, 02 - अमित भदौरिया पुत्र शिव सिंह निवासी सदर, 03- रविन्द्र सिकरवार पुत्र रामवीर सिंह सिकरवार, 42 वर्ष, निवासी गोपाल नगर गदाईपुरा, बिरलानगर ग्वालियर 04- सोनू राठौर पुत्र स्व. श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, 39 वर्ष, निवासी चार शहर का नाका, रानीपुर हजीरा ग्वालियर, 05. ओमी उर्फ ओमकार राठौर पुत्र स्व. श्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर, उम्र 45 वर्ष, निवासी धार शहर का नाका रानीपुर हजीरा ग्वालियर, घटना स्थल पर उपस्थित नहीं पाए गए हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। वर्तमान में, चालानी कार्यवाही हेतु उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर से अनुमति प्राप्त कर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 04.03.2022 को खात्मा रिपोर्ट तैयार की गई। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से अर्थात्

1. पृथ्वीराज उर्फ राज पुत्र विजय सिंह चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी गुद्धा गुद्धी का नाका कंपू ग्वालियर, 2. बंटी उर्फ अजय भदौरिया पुत्र श्याम सिंह भदौरिया उम्र 23 वर्ष निवासी शीतला माता के बगल के कांचमिल हजीरा ग्वालियर 3. आनंद उर्फ अन्नू राठौड़ पुत्र नरेश राठौड़ उम्र 23 वर्ष निवासी हनुमान चौराहा गुप्ता कोल डिपो के सामने, लक्ष्मीगंज ग्वालियर 4. वीरेंद्र उर्फ वीरू तोमर पुत्र बहादुर सिंह तोमर, उम्र 37 वर्ष, निवासी इंद्रानगर चार शहर का नाका हजीरा ग्वालियर 5. गौरव राणा पुत्र मनोज राणा, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम उदयपुर पोस्ट बिजौली, थाना बिजोल, जिला ग्वालियर 6. राहुल राजावत पुत्र रवींद्र राजावत, उम्र 26 वर्ष, निवासी न्यू कॉलोनी नंबर-01, कांचमिल, हजीरा ग्वालियर 7. विक्रम सिंह राणा पुत्र दीवान सिंह राणा, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम बिजौली, ग्वालियर 8. सुरेंद्र उर्फ मीनू राठौड़ पुत्र पान सिंह राठौड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी इंद्रानगर व्यास वाली गली, चार शहर का नाका, हजीरा ग्वालियर, 9. गजेंद्र उर्फ गडरा कोली उर्फ माहौर पुत्र रामजी लाल कोली, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम टुंडीला, थाना मालनपुर, जिला भिंड, 10. पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सू पुत्र गोपेंद्र सिंह भदौरिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी

काशी नरेश की गली किलागेट ग्वालियर के विरुद्ध अपराध साबित हो चुका है, चालान पूर्व में ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रतिवेदन सादर आपके सुपुर्द है।

एसडी/- 16.03.2022

थाना प्रभारी पुलिस थाना पड़ाव,
जिला ग्वालियर।

16. हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पैरा 14 में उल्लिखित दलील से प्रभावित नहीं हैं, जिसका सीधा सा कारण यह है कि परिवादी द्वारा प्राथमिकी में एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, लेकिन पुलिस अन्वेषण के बाद उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे शामिल किए बिना आरोप पत्र दाखिल कर देती है, ऐसे में न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और समन जारी करने के प्रक्रम पर विचारण न्यायालय, यदि पाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को आरोपी के रूप में समन किया जाना चाहिए, भले ही उसका नाम आरोप पत्र में न हो, तो वह ऐसा कर सकता है।

17. उपर्युक्त संदर्भ में, हम एस. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेंद्र चांडक(2017) 16 एससीसी 226 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें न्यायालय ने पैरा 35 में निम्नानुसार अवलोकन किया :-

"यह रेखांकित करना आवश्यक है कि जब परिवादी द्वारा प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस अन्वेषण के बाद उस व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे शामिल किए बिना आरोप पत्र दाखिल कर देती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं होता है, और समन जारी करने के प्रक्रम पर, यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को अभियुक्त के रूप में समन किया जाना चाहिए, भले ही उसका नाम आरोप पत्र में न हो, तो वह ऐसा कर सकता है। उस प्रक्रम पर, परिवादी को भी एक विरोध याचिका दायर करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें विचारण न्यायालय से उन अन्य व्यक्तियों को भी समन करने का आग्रह किया जाता है, जिनका नाम प्राथमिकी में है, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं हैं। एक बार वह चरण बीत जाने के बाद भी, न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं होता है। हालाँकि, यह धारा तब लागू होती है जब विचारण के दौरान प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं।"

18. इस प्रकार, ऐसे मामले में भी, ऐसे प्रक्रम पर जहां परिवादी को विरोध याचिका दायर करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें विचारण न्यायालय से उन अन्य व्यक्तियों को भी समन करने का आग्रह किया गया है जिनका नाम प्राथमिकी में था लेकिन आरोप-पत्र में शामिल नहीं था, चला गया है, उस मामले में भी, न्यायालय अभी भी धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर शक्तिहीन नहीं है और यहां तक कि प्राथमिकी में नामित लेकिन आरोप-पत्र में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों को

भी विचारण का सामना करने के लिए समन किया जा सकता है, बशर्ते कि विचारण के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत सामने आएँ।

19. इस प्रक्रम पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हस्तगत मामले में पुलिस द्वारा दायर ख़ात्मा रिपोर्ट पर संबंधित न्यायालय द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है। इसे आज दिनांक तक स्वीकार नहीं किया गया है। हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर ख़ात्मा रिपोर्ट अब महत्वहीन हो गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को विचारण जारी रखने के लिए समन जारी किया गया है। हम केवल इतना ही जोड़ सकते हैं कि यह उचित होता यदि संबंधित न्यायालय ने जल्द से जल्द ख़ात्मा रिपोर्ट पर विचार किया होता और वास्तविक परिवादी की सुनवाई के बाद किसी न किसी तरह उचित आदेश पारित किया होता। न्यायालय को ख़ात्मा रिपोर्ट को लंबे समय तक विचार के लिए लंबित नहीं रखना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए।

20. मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, विधि की किसी त्रुटि की तो बात ही छोड़ दें।

21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के संबंध में कानून के सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

क. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 और उपरोक्त दोनों निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय को निस्संदेह अधिकार है कि वह अपने समक्ष अभियुक्त न होने वाले किसी भी व्यक्ति को अन्य अभियुक्तगण के साथ विचारण का सामना करने के लिए शामिल कर सकती है, बशर्ते कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि जिन व्यक्तियों को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उन्हें विचारण का सामना करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को, भले ही उसका नाम प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में दर्ज किया गया हो, लेकिन उसके विरुद्ध आरोपपत्र दायर न किया गया हो, विचारण का सामना करने के लिए भी शामिल किया जा सकता है।

ख. विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उठा सकता है, न कि आरोप-पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप-पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य का गठन नहीं करती है।

ग. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्ति प्राथमिकी में संबंधित व्यक्ति का नाम लेने या न लेने से नियंत्रित या शासित नहीं होती है। न ही यह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि धारा 319 में आया वाक्यांश 'कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है' अपने

प्रभाव से उस अभियुक्त को बाहर करता है जिसे पुलिस ने संहिता की धारा 169 के तहत रिहा कर दिया है और आरोप पत्र के कॉलम नंबर 2 में दिखाया गया है, इस तर्क को केवल खारिज करने के लिए कहा जाना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को शामिल करती है जिस पर पहले से ही न्यायालय द्वारा विचारण नहीं चलाया जा रहा है और धारा 319 (1) जैसे प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे व्यक्ति भी जिन्हें पुलिस ने अन्वेषण के दौरान छोड़ दिया है, लेकिन जिनके खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले सबूत आपराधिक न्यायालय के समक्ष आते हैं, उक्त अभिव्यक्ति में शामिल हैं।

ग. अन्वेषण अधिकारी के अभिलेखों पर विचार करके नए अभियुक्त को शामिल करने के आवेदन को खारिज करना विचारण न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा। जब परिवादी का साक्ष्य स्वीकार करने योग्य पाया जाता है, तो अन्वेषण अधिकारी की संतुष्टि का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि अन्वेषण अधिकारी की संतुष्टि को ही निर्णायक माना जाए, तो धारा 319 का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

22. परिणामस्वरूप, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

23. यह स्पष्ट करना अनावश्यक है कि याचिकाकर्ताओं को विचारण न्यायालय के समक्ष विधि में उपलब्ध सभी तर्कों को उठाने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें खात्मा रिपोर्ट पर भरोसा करना भी शामिल है, चाहे उसका कोई भी महत्व हो।

24. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: याचिका खारिज।

अनुवादक – शिवानी बंसल